

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)

दां0प्र0क0-207 / 09
संस्थित दि0 29 / 07 / 09
फाईलनं0 23350400152009

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन.

—: विरुद्ध :-

1. सायबू पिता नंदलाल, उम्र 62 वर्ष,
2. अनिल पिता सायबू, उम्र 26 वर्ष,
 उक्त दोनों-जाति कुन्बी, पेशा मजदूरी,
 नि0ग्राम खापा खतेड़ा, थाना आमला,
 जिला बैतूल (म0प्र0),

-----अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक- 18 / 10 / 2016 को घोषित)

1— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 304 "ए" के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 28 / 04 / 09 प्रातः 6 बजे के पूर्व सायबू का खेत आया खतेड़ा थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत सह अभियुक्तगण सायबू अनिल के साथ मिलकर उपहति कारित करने के आशय से और उसकी पूति में सह अभियुक्तगण सायबू अनिल ने उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से बिजली के वायर का उपयोग कर अवैध रूप से ट्यूबवेल चलवाई, जिससे सुनिल की मृत्यु कारित हुई जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। सह अभियुक्तगण सायबू अनिल के साथ मिलकर उपहति कारित करने के आशय से और उसकी पूर्ति में सह अभियुक्तगण सायबू अनिल को यह जानते हुये सुनिल की हत्या की गयी है अथवा विश्वास करने का कारण रखते हुए कि सुनिल की हत्या की गयी है उक्त अपराध के लिए जाने से संबंधित साक्ष्य विलोपित किया और ऐसा इस आशय से किया की अभियुक्त को वैध दण्ड से बचाया जा सके।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता खापाखतेड़ा रहती है। उसका मायका कनौजिया में है। उसकी शादी 3 वर्ष पहले सदाराम वल्द बनीराम के साथ हुई थी। खापा में उसके परिवार में उसके पति सदाराम

सास मालाबाई, ससुर बलीराम, देवर सुनिल, देवरानी रामबाई, जेठ सायबू, जेठानी पार्वतीबाई थे। दिनांक 27/04/09 सोमवार रात को अनिल व सुनिल दोनों भाई सोने गये थे खेत पर। मंगलवार 28/04/09 सुबह 6:00 बजे बैलगाड़ी में सायबू व अनिल दोनों सुनिल की लाश लेकर आये बताया कि हाथ में करंट लगने से मर गया थाना रिपोर्ट मत करो व परिवार के लोगों ने बिना रिपोर्ट करे सुनिल का दाह संस्कार कर दिया आज तेरहवी पर रामबाई के रिश्तेदार दुर्गेश, रामदीन, व अन्य लोगों ने उन पर इल्जाम लगाया कि उसने सुनिल को मार डाला तो उसने कहा कि पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की, डॉक्टरी में पता चल जाता तो उनको मारने पर आमदा हुए उसकी सास मलाबाई के साथ थाना रिपोर्ट को आई।

3— दिनांक 09/05/09 मर्ग इन्टीमेशन प्र0पी0 1 तैयार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 6 तैयार किया गया। जिसके आधार पर अप0क्रं.227/09 अंतर्गत धारा 304 'ए', 201 भा0द0वि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 10/05/09 को नक्शा मौका प्र0पी0 2 तैयार किया गया। दिनांक 10/05/09 को पंचनामा प्र0पी0 4 बनाया गया। दिनांक 10/05/09 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 5 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 7, 8 बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अभियुक्तगण के दौरान अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:—

1— “आपने दिनांक 28/04/09 प्रातः 6 बजे के पूर्व सायबू का खेत आया खतेड़ा थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत सह अभियुक्तगण सायबू, अनिल के साथ मिलकर उपहति कारित करने के आशय से और उसकी पूर्ति में सह अभियुक्तगण सायबू, अनिल ने उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से बिजली के वायर का उपयोग कर अवैध रूप से ट्यूबवेल चलवाई, जिससे सुनिल की मृत्यु कारित हुई जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती?”

2— “उक्त दिनांक समय व स्थान पर सह अभियुक्तगण सायबू, अनिल के साथ मिलकर उपहति कारित करने के आशय से और उसकी पूर्ति में सह अभियुक्तगण सायबू, अनिल को यह जानते हुये सुनिल की हत्या की गयी है अथवा विश्वास करने का कारण रखते हुए कि सुनिल की हत्या की गयी है उक्त अपराध के लिए जाने से संबंधित साक्ष्य विलोपित किया और ऐसा इस आशय से किया की अभियुक्त को वैध दण्ड से बचाया जा सके?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी नीतूबाई (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी सायबू एवं अनिल, सुनिल की लाश को लेकर घर आए थे और बताया था कि हाथ में करंट लगने से मर गया है, जब सुनिल की तेरहवीं थी तब रामबाई के रिश्तेदारों ने उसके और उसके पति के उपर आरोप लगाया था कि वह लोगों ने सुनिल को मार डाला है तो उन लोगों ने कहा कि उन लोगों ने क्यों रिपोर्ट नहीं किया, डॉक्टरों में सब पता चल जाता। फिर उसने पुलिस थाना आमला में जाकर मृतक सुनिल की मृत्यु की सूचना मर्ग इन्टीमेशन प्र0पी0 1 लेख करवाई थी जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस जांच करने गांव में आई थी और मौका नक्शा प्र0पी0 2 तैयार की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके ससुर सायबू ने अवैध तरीके से बिजली के खम्बे से तार ट्यूबवेल के पास से जाकर गया था जिससे सिंचाई करते थे, उसके ससुर सायबू ने लापरवाही पूर्वक अवैध तरीके से बिजली का तार ले जाया गया था, जिससे करंट लगने से सुनिल की मृत्यु हुई थी। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

7— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह स्वीकार किया है कि सुनिल काहे से मरा, कैसे मरा इसकी मुझे कोई जानकारी है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय वह घर पर थी और उसने घटना होते हुये नहीं देखी। इस प्रकार इस गवाह की प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि इस गवाह के द्वारा घटना होते हुये नहीं देखा गया है और न ही घटना के संबंध में जानकारी है। ऐसी परिस्थिति में नहीं माना जा सकता कि सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उसी की पूर्ति में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर उपेक्षा व उतावलेपन वे वायर का उपयोग कर अवैध रूप से ट्यूबवेल चलाई, जिससे सुनिल की मृत्यु कारित हुई।

8— अभियोजन साक्षी सदाराम (अ0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी सायबू ने उसके खेत में खम्बे से ट्यूबवेल तक अवैध तार से ले गया था जिससे करंट लगने से ही सुनिल की मृत्यु हुई थी। जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि घटना के समय वह घर पर था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि घटना होते हुये उसने नहीं देखा था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि किसकी लापरवाही से सुनिल की मृत्यु हुई, उसने नहीं देखा। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य ने अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित की गई हो, यह स्पष्ट नहीं होता है।

9— अभियोजन साक्षी मालाबाई (अ0सा03) ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि करंट लगने से सुनिल की मृत्यु हो गई थी सायबू के खेत में सुनिल को करंट लगा था। जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि उसे उक्त घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि सुनिल की मृत्यु कैसे हुई उसकी भी उसे जानकारी नहीं है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि किसकी लापरवाही से सुनिल की मृत्यु हुई, उसे नहीं मालूम। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य ने भी घटना अभियुक्तगणों के द्वारा की गई हो, यह

साक्ष्य से स्पष्ट नहीं होता है।

10— अभियोजन साक्षी अजीत (अ0सा04), अभियोजन साक्षी प्रीतम (अ0सा05), अभियोजन साक्षी किशोरी (अ0सा06), अभियोजन साक्षी रामबाई (अ0सा07) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

11— अभियोजन साक्षी सूरतलाल मालवीय (अ0सा08) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि थाना आमला में मृतक सुनिल की अकालमृत्यु के संबंध में दर्ज मर्ग इन्टीमेशन क्रं. 22/09 प्र0पी0 1 जांच हेतु प्राप्त हुई थी। मर्ग जांच में मैने पाया था कि दिनांक 28/04/09 को आरोपी सायबू एवं अनिल द्वारा लापरवाही एवं उपेक्षा से बिजली के वायर का उपयोग कर अभेद रूप से ट्यूबवेल चलवाई जिसके कारण सुनिल कुन्बी की करंट लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। किन्तु जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं उनके द्वारा साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अभियुक्तगणों के द्वारा ही उपेक्षा व लापरवाही से बिजली के वायर का उपयोग कर अवैध रूप से ट्यूबवेल चलवाया जिससे कि सुनिल की मृत्यु हुई, क्योंकि यह गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। इस गवाह के द्वारा मात्र प्रकरण में विवेचना की गई है। स्वतंत्र गवाहों के द्वारा इस गवाह की साक्ष्य का समर्थन न करने के कारण यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण के द्वारा ही घटना कारित की गई है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य ने भी घटना का समर्थन नहीं किया है।

12— उर्पयुक्त किए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से बिजली के वायर का उपयोग कर अवैध रूप से ट्यूबवेल चलवाई, जिससे सुनिल की मृत्यु कारित हुई जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रं 2 का निराकरण

13— अभियोजन साक्षी नीतूबाई (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके ससुर सायबू ने अवैध तरीके से बिजली के खंभे से तार ट्यूबवेल के पास ले जाकर लगाया था जिससे सिंचाई करते थे, उसके ससुर सायबू ने लापरवाही पूर्वक अवैध तरीके से बिजली का तार लेजाया गया था जिससे करंट लगने से सुनिल की मृत्यु हुई थी। आरोपी अनिल ने घटना की रिपोर्ट न कर एवं जल्दबाजी में सुनिल का दाह संस्कार किया। किन्तु इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि उसने तार डालते हुये किसी को नहीं देखी थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखा। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुये नहीं देखी इसलिए वह यह नहीं बता सकती कि किसकी लापरवाही से घटना हुई थी। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्यों से यह नहीं माना जा सकता कि सह-अभियुक्तगण यह जानते हुये सुनिल की हत्या की गई है अथवा विश्वास रखने का कारण रखते हुये कि सुनिल की हत्या की गई है, उक्त अपराध के

किए जाने से संबंधित साक्ष्य को विलोपित किया। क्योंकि इस गवाह के द्वारा घटना होते हुये नहीं देखी गई है और तार किसके द्वारा डाला गया है वह भी नहीं देखा गया है।

14— इस गवाह की संपूर्ण साक्ष्य से यह भी स्पष्ट नहीं है कि मृतक की जो मृत्यु हुई है वह करंट लगने से हुई है। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्तगण के द्वारा यह जानते हुये कि उनके द्वारा मृत्यु कारित की गई है और उक्त अपराध से बचने के लिए साक्ष्य को विलोपित किया। साथ ही अभियोजन साक्षी सदाराम (अ0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि सायबू और अनिल ने घटना की सूचना पुलिस को न देकर जल्दबाजी में सुनिल का दाह संस्कार कर दिया था। आरोपी सायबू ने उसके खेत में खम्बे से ट्यूबवेल तक अवैध तार ले गया था जिससे करंट लगने से सुनिल की मृत्यु हुई थी। जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि घटना होते हुये उसने नहीं देखा था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि किसकी लापरवाही से सुनिल की मृत्यु हुई, उसने नहीं देखा। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगणों के द्वारा ही विधुत कनेक्शन का वायर ट्यूबवेल तक अवैध तरीके से लेजाया गया जिसके कारण सुनिल की मृत्यु हुई। ऐसे में यह तथ्य का विश्वास किया जाना कि सुनिल की मृत्यु करंट लगने से हुई है और जिस कारण से उसका अंतिम दाह संस्कार कर पुलिस को सूचना न देकर छुपाया गया, यह तथ्य भी विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

15— अभियोजन साक्षी मालाबाई (अ0सा03) ने अपने सूचक प्रश्न की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि आरोपी सायबू और अनिल ने सुनिल की मृत्यु की सूचना पुलिस को नहीं दिया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि उसे उक्त घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, जब इस गवाह के घटना के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह तथ्य विश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि मृतक सुनिल की मृत्यु करंट लगने से हुई जिसकी सूचना पुलिस को न देकर उसका अंतिम दाह संस्कार कर साक्ष्य को विलोपित किया गया हो।

16— अभियोजन साक्षी अजित (अ0सा04), अभियोजन साक्षी प्रीतम (अ0सा05), अभियोजन साक्षी किशोरी (अ0सा06), अभियोजन साक्षी रामबाई (अ0सा07) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

17— अभियोजन साक्षी सूरतलाल मालवीय (अ0सा08) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि सुनिल के शव का 28/04/09 को दाह संस्कार किया गया था उसके पश्चात् अन्यशवों के दाह संस्कार होने से मौके पर कोई भौतिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका। जबकि यह गवाह विवेचना अधिकारी है। घटना प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। स्वतंत्र गवाहों की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगणों के द्वारा ही उपेक्षा व लापरवाही से बायर का उपयोग अवैध रूप से फैलाकर ट्यूबवेल चलवाया गया। जहां तक साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि जो मृतक है उसकी मृत्यु विधुत करंट लगने से ही हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में यह तथ्य विश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगणों के द्वारा यह जानते हुये कि सुनिल की मृत्यु करंट लगने से हुई है और उसका अंतिम संस्कार कर साक्ष्य को विलोपित किया गया हो, इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य विश्वसनीय न होकर महत्वहीन हो जाती है।

18— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण के द्वारा यह जानते हुये सुनिल की हत्या की गयी है अथवा विश्वास करने का कारण रखते हुए कि सुनिल की हत्या की गयी है उक्त अपराध के लिए जाने से संबंधित साक्ष्य विलोपित किया और ऐसा इस आशय से किया की अभियुक्त को वैध दण्ड से बचाया जा सके। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

19— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से बिजली के वायर का उपयोग कर अवैध रूप से ट्यूबवेल चलवाई, जिससे सुनिल की मृत्यु कारित हुई जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती एवं उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण के द्वारा यह जानते हुये सुनिल की हत्या की गयी है अथवा विश्वास करने का कारण रखते हुए कि सुनिल की हत्या की गयी है उक्त अपराध के लिए जाने से संबंधित साक्ष्य विलोपित किया और ऐसा इस आशय से किया की अभियुक्त को वैध दण्ड से बचाया जा सके। इस प्रकार अभियुक्तगण सायबू अनिल को भा0द0वि0 की धारा-304 "ए", 201 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

20— प्रकरण में आरोपीगण को धारा 313 द0प्र0सं0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। आरोपीगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

21— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति बिजली के तार लाल पीले रंग का 300 मीटर करीबन न्यायालय में पेश नहीं की गई है पेश किए जाने पर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

